निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 625/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रूप कंवर पत्नी श्री उम्मेद सिंह राजपूत, निवासी 2172, सानकोटडा हाऊस, फ्रुट मण्डी, जौहरी बाजार, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. कुलदीप सिंह पुत्र स्व. श्री फतेह सिंह,
3. नगेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी 2172, सानकोटड़ा हाऊस फ्रुट मण्डी, जौहरी बाजार, जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र विरूद्ध सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 110/2025 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 76/2025 ब–उनवानी रूपकंवर बनाम कुलदीप व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थितः–

1. श्री रामकरण शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय दिनांक 24.03.2026

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़, जिला जयपुर के समक्ष वाद संख्या 110/2025 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 76/2025 ब–उनवानी रूपकंवर बनाम कुलदीप व अन्य विचाराधीन है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री विजय कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत सीमा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में दिनांक 14.08.2025 की तारीख पेशी नियत थी, जिसमें 19.8.2025 नियत की गई एवं फिर 21.8.2025 पेशी नियत की गई एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 दिनांक 25.8.2025 को गांव वालों से बोल रहे थे कि कल 26.08.2025

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

को तारीख पेशी है एवं हमने पीठासीन अधिकारी से सांठ–गांठ कर ली है तथा हम रूपकंवर की भूमि के स्टे को खारिज करवाकर कब्जा करके रहेंगे। दिनांक 28.08.2025 को शाम को गांव में मिठाई बांट रहा था और बोल रहा था कि हमारी अधिकारी से पुख्ता सांठ गांठ हो चुकी है तथा राजनैतिक दबाव डलवाकर दिनांक 04.09.2025 को दावा व स्टे दोनो खारिज करवाकर फैसला करवा लेंगे। अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 के कथनों व कृत्यों से प्रार्थिया को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है, प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढ़न्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किया जा रहा है, अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर